समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः बी0–111–105(0001)/2014–01/आ0 दिनांकः 01.04.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त शीर्ष 2015–निर्वाचन–105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार– 0001– लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत 11 01 यात्रा व्यय इकाई मद में मो0 55,00,000.00 (पचपन लाख) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांकः 1195/नि0 दिनांकः 11.04.2014 के द्वारा जिला सुरक्षित रखा गया। इस राशि को निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (3) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	उप आवंटित यात्रा व्यय 11 01
1	2	3
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर	17,79,750.00
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	10,31,050.00
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धरहरा	6,06,000.00
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	5,63,450.00
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज	3,62,650.00
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	4,96,250.00
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	5,15,700.00
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर	1,45,150.00
	योगः–	**55,00,000.00**

2. आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015–निर्वाचन–105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार– 0001– लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत 13 01 कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड– एन 2015001050001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः एम–4–05/98/2561 वि0(2) दिनांकः 17.04.1998, पत्रांकः ब–17/बी0 एस0जी0–07/2014–253/वि0 दिनांकः 11.03.2014 एवं पत्रांकः एम–4–21/2012(खंड)–2890/वि0 दिनांकः 26.03.2014 के आलोक में आवंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. यह राशि वित्तीय वर्ष, 2014–15 में लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 से संबंधित कार्यों पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु आवंटित है। इस आवंटित राशि में से पूर्व वित्तीय वर्षों के किसी बकाया का भुगतान मु,य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि में से विधि–व्यवस्था/पुलिस

बलों/केन्द्रीय बलों के आवागमन या ठहराव इत्यादि पर हुए व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/ व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर/वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।

9. भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/ सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात् ही भुगतान किया जाय।

10. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः ..../नि0, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः ..../नि0, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,–सह–सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांकः 01/आ0 दिनांक 01.04.2014 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 1475/नि0, दिनांकः 22/5/14

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

22/5/14

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।